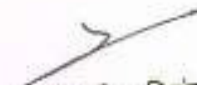


कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड खानपुर
भूमि की पर्याप्तता का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम - सड़क निर्माण कार्य तारज से तारादेवी
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि सड़क परियोजना के लिए पर्याप्त है,
भविष्य में कोई अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।



सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड खानपुर



अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड खानपुर

कार्यालय अधिशासी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड खानपुर

न्यूनतम भूमि की अप्रुवरटेकिंग

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य तारज से तारादेवी

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की न्यूनतम भूमि (0.87 हैक्टेयर) चाही गयी है।


सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड खानपुर


अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड खानपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड खानपुर

वर्तमान प्रचलित दर (एन.पी.वी.) की अण्डर टेकिंग

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य तारज से तारादेवी

इस परियोजना हेतु 0.87 हैक्टेयर वन भूमि के अनारक्षण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो एन.पी.वी. राजस्व सरकार द्वारा निर्धारित की जावेगी, नियमानुसार देय होगी। एवं सा.नि.वि. उक्त राशि जमा करा देगा।


सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड तारज


अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड खानपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड खानपुर

वचन बद्धता का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम - सड़क निर्माण कार्य तारज से तारादेवी

प्रस्तावित वन भूमि के अनास्रक्षण को अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुस्रक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ - साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सा.नि.वि. देने को तैयार होंगे।


सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड तारज


अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड खानपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड खानपुर

अण्डर टेकिंग

कार्य का नाम - सड़क निर्माण कार्य तारज से तारादेवी

यह प्रमाणित किया जाता है कि न्यूनतम श्रमिक दर बढ़ने से क्षतिपूर्ति वृद्धारोपण की राशि में बढोतरी होती है तो उसका भुगतान सा.नि.वि. द्वारा कर दिया जाएगा।



सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड तारज



अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड खानपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड खानपुर
प्रमाण - पत्र

कार्य का नाम - सड़क निर्माण कार्य तारज से तारादेवी

प्रमाणित किया जाता है कि जिस वन भूमि को सड़क निर्माण के काम में लिया जावेगा इसे अन्य किसी कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तापित वन भूमि में नयी स्वीकृत सड़क बनाई जावेगी।



सहायक अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड तारज



अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड खानपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड खानपुर
अण्डरटेकिंग

कार्य का नाम - सड़क निर्माण कार्य तारज से तारादेवी

सड़क निर्माण में जो सामग्री उपयोग में ली जायेगी वो वन क्षेत्र से नहीं ली जायेगी
चाहे वो बोरो पिट हो।


सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड तारज


अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड खानपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड खानपुर

मार्ग के वन भूमि से गुजरने का प्रमाण - पत्र

कार्य का नाम - सड़क निर्माण कार्य तारज से तारादेवी

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सड़क वन क्षेत्र से गुजरती है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात ही उक्त सड़क का निर्माण कराया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि में नयी स्वीकृत सड़क बनाई जावेगी।


सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
उपखण्ड तारज


अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड खानपुर